कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

(जिला गोपनीय शाखा)

– आदेश –

औरंगाबाद जिलान्तर्गत पदस्थापित तकनीकी पदाधिकारी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा अवकाश लेने एवं मुख्यालय छोड़ने संबंधित मामले में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर सीधे अपने वरीय विभागीय पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजते हुये मात्र खानापूरीवश सूचना इस कार्यालय को भेज दिया जाता है, जो चिन्ताजनक स्थिति है। इस संबंध में मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1263, दिनांक–19.09.2011, प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के पत्रांक–800, दिनांक–18.12.2012 के आलोक में कार्यालय पत्रांक–2909 / गो0, दिनांक–01. 10.2011 द्वारा जिलास्तरीय पदाधिकारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दिये जाने एवं मुख्यालय छोड़ने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत थे। पुनः कार्यालय ज्ञापांक–2933 / गो0, दिनांक–17.11.2015 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाने के बावजूद बार–बार गलती की पुनरावृति हो रही है।

आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का निकट भविष्य में निश्चय यात्रा के तहत जिला परिभ्रमण कार्यक्रम सम्भावित है। विभागीय कार्यों के समीक्षा हेतु अचानक बुलाये जाने पर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की जानकारी मिलती है, जो बेहद आपत्तिजनक है।

उपरोक्त के आलोक में अवकाश स्वीकृति व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश दिये जाते है :–

1. सभी विभागीय पदाधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्व विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
2. अवकाश अभ्यावेदन कम–से–कम 7 (सात) दिन पूर्व अनिवार्यतः भेजा जाय। नितान्त आकस्मिकता यथा– दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में कारण स्पष्ट किये जाने पर ही अल्पावधि में दिये गये आवेदन पर विचार किया जायेगा। अवकाश आवेदन स्वीकार्य किये जाने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
3. जिलास्तरीय पदाधिकारी (जिनके आकस्मिक अवकाश स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरी सक्षम प्राधिकार नहीं हैं) के आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा तथा प्राप्त विभागीय अनुमति के आधार

पर तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी की सहमति से ही उन्हें मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होगा।

4. माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु मुख्यालय छोड़ने संबंधी अवकाश आवेदन यथासम्भव समय पूर्व भेजे जायें एवं मुख्यालय छोड़ने संबंधी उक्त अनुमति को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ बिल्कुल सम्बद्ध नहीं किया जाय।

5. सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम की प्रति ससमय अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में बार–बार पूर्व निर्गत निदेशों का उल्लंधन किये जाने पर अन्यथा दृष्टिगत लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

18/11

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक– 4155 /गो0, औरंगाबाद, दिनांकः– 18/11/2016

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद/जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं जिला के सरकारी वेबसाईट (www.aurangabad.bih.nic.in) पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलास्तरीय सभी विभागीय तकनीकी व गैरतकनीकी पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18/11

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।